रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1248] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2015/ज्येष्ठ 26, 1937
No. 1248] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2015/JYAISTHA 26, 1937

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2015

का.आ. 1603(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किए गए निम्नलिखित आदेश को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

आदेश

नई दिल्ली, 29 मई, 2015

राष्ट्रपति द्वारा 11 फरवरी, 2015 को एक निर्देश किया गया था जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 8क की उप-धारा (3) के अधीन इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई थी, कि क्या श्री पारसमल सकलेचा (भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, मध्य प्रदेश) को, उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (1) के अधीन निरर्हित किया जाना चाहिए, यदि हां, तो कितनी कालावधि के लिए;

और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष 2009 की निर्वाचन याचिका सं. 6 को श्री पारसमल सकलेचा का वर्ष 2008 में संचालित शहर रतलाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र-220 से निर्वाचन को अन्य बातों के साथ इस आधार पर चुनौती देते हुए फाइल किया गया था, कि श्री पारसमल सकलेचा ने उक्त अधिनियम की धारा 123 की उप-धारा (4) के अधीन भ्रष्ट आचरण किया था ;

और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने तारीख 12 अप्रैल, 2013 के निर्णय आदेश द्वारा श्री पारसमल सकलेचा को आक्षेपित भाषण देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 123 की उप-धारा (4) के अधीन भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया था और उनके निर्वाचन को अपास्त कर दिया है ।

और श्री सकलेचा ने उच्च न्यायालय के तारीख 12 अप्रैल, 2013 के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक निर्वाचन अपील (सिविल अपील सं. 2013 का 4076) फाइल की थी ।

और माननीय उच्चतम न्यायालय के (सिविल अपील सं. 2013 का 4076 पारसमल सकलेचा बनाम हिम्मत कोठारी और अन्य), में तारीख 05 नवंबर, 2014 के आदेश के अनुसरण में यह निर्देश उदभूत होता है जिसके अधीन अन्य बातों के साथ माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार समप्रेक्षित किया है:-

"हमारे लिए पक्षकारों की इस समझ की शुद्धता को स्वीकार करना कठिन प्रतीत होता है, कि उपरोक्त वर्णित अंतरिम आदेश के कारण राष्ट्रपति की उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरर्हता के प्रश्न की समीक्षा करने के प्राधिकार को प्रास्थगित रखा गया है । हमारी राय में, अंतरिम आदेश में, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के प्रवर्तन पर मात्र रोक लगाई है । यह मात्र उच्च न्यायालय के निर्णय की शुद्धता के बारे में अपीलार्थी के विधान सभा सदस्य के रूप में बने रहने के प्रश्न के मुकाबले में अंतिम विनिश्चय के लंबित रहने तक एक अंतरिम व्यवस्था है । उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों की शुद्धता को विचार में लाए बिना, वह विधान सभा जिसके लिए अपीलार्थी निर्वाचित हुआ था कार्यकाल की समाप्ति पर विघटित हो गई थी । अब प्रश्न मात्र यह है कि, क्या अपीलार्थी का उसके विरुद्ध दोषी होने के निष्कर्ष की दृष्टि से उसका निरर्हता से ग्रस्त रहना जारी रहेगा या नहीं रहेगा । अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं है कि अपीलार्थी निरर्हता से ग्रस्त है । इन परिस्थितियों में हम राष्ट्रपति की उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन विनिश्चय किए जाने तक इस अपील की सुनवाई को आस्थगित रखना उचित समझते हैं । हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन अनुध्यात प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंन्त्र है कि वह राष्ट्रपति को उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन समुचित विनिश्चय के लिए इसमें अपीलार्थी के मामले को प्रस्तुत करे ।

इस मामले को राष्ट्रपति के विनिश्चय किए जाने के पश्चात् इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए । "

और निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क की उप-धारा (3) के अधीन अपनी यह राय दी है कि श्री पारसमल सकलेचा को राष्ट्रपति के आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित किया जा सकता है (निर्वाचन आयोग की राय इस आदेश के उपबंध के रूप में उपाबद्ध है)।

अत:, अब मैं, प्रणव मुखर्जी, भारत का राष्ट्रपति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह विनिश्चिय करता हूँ कि श्री पारसमल सकलेचा इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से एक (01) वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित रहेंगे ।

भारत का राष्ट्रपति

<u>राष्ट्रपति के आदेश का उपाबंध</u>

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन
अशोक रोड़, नई दिल्ली -110001

<u>भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष 2015 का निर्देश के मामला संख्या 1</u>

<u>लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8क के अधीन भारत के राष्ट्रपति निर्देश ।</u>

श्री पारसमल सकलेचा भूतपूर्व मध्य प्रदेश विधान सभा सदस्य की निरर्हता के मामले में ।

राय

यह राष्ट्रपति द्वारा एक निर्देश किया गया है जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 8क की उप-धारा (3) के अधीन इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई थी, कि क्या श्री पारसमल सकलेचा (भूतपूर्व मध्य प्रदेश विधान सभा सदस्य) को, उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (1) के अधीन निरर्हित किया जाना चाहिए, यदि हां, तो कितनी कालावधि के लिए ।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय के (सिविल अपील सं. 2013 का 4076 पारसमल सकलेचा बनाम हिम्मत कोठारी और अन्य), में तारीख 05 नवम्बर, 2014 के आदेश के अनुसरण में यह निर्देश उदभूत होता है जिसके अधीन अन्य बातों के साथ माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार समप्रेक्षित किया है:-

"हमारे लिए पक्षकारों की इस समझ की शुद्धता को स्वीकार करना कठिन प्रतीत होता है, कि उपरोक्त वर्णित अंतरिम आदेश के कारण राष्ट्रपति की उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरर्हता के प्रश्न की समीक्षा करने के प्राधिकार को प्रास्थगित रखा गया है। हमारी राय में, अंतरिम आदेश में, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के प्रवर्तन पर मात्र रोक लगाई है। यह मात्र उच्च न्यायालय के निर्णय की शुद्धता के बारे में अपीलार्थी के विधान सभा सदस्य के रूप में बने रहने के प्रश्न के मुकाबले में अंतिम विनिश्चय के लंबित रहने तक एक अंतरिम व्यवस्था है। उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों की शुद्धता को विचार में लाए बिना, वह विधान सभा जिसके लिए अपीलार्थी निर्वाचित हुआ था कार्यकाल की समाप्ति पर विघटित हो गई थी। अब प्रश्न मात्र यह है कि, क्या अपीलार्थी का उसके विरुद्ध दोषी होने के निष्कर्ष की दृष्टि से उसका निरर्हता से ग्रस्त रहना जारी रहेगा या नहीं रहेगा। अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं है कि अपीलार्थी निर्रहता से ग्रस्त है। इन परिस्थितियों में हम राष्ट्रपति की उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन विनिश्चय किए जाने तक इस अपील की सुनवाई को आस्थगित रखना उचित समझते हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन अनुध्यात प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंन्त्र है कि वह राष्ट्रपति को उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन समुचित विनिश्चय के लिए इसमें अपीलार्थी के मामले को प्रस्तुत करे।

इस मामले को राष्ट्रपति के विनिश्चय किए जाने के पश्चात् इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए"।

3. श्री सकलेचा ने 2008 में संचालित मध्य प्रदेश विधान सभा का निर्वाचन रतलाम नगर-220 सभा निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा और जीता। उनके निर्वाचन को श्री हिम्मत कोठारी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष, निर्वाचन याचिका संख्या 2009 का 6 के द्वारा अन्य बातों के साथ इस आधार पर चुनौती दी थी कि श्री पारसमल सकलेचा ने 1951 के अधिनियम, की धारा 123 की उप-धारा (4) के अधीन भ्रष्ट आचरण कारित किया था। श्री कोठारी भी उक्त निर्वाचन में उसी सभा निर्वाचन क्षेत्र से एक अभ्यर्थी थे और श्री पारसमल सकलेचा से निर्वाचन हार गए थे।

4. निर्वाचन याचिका में श्री पारसमल सकलेचा भ्रष्ट आचरण के बारे में यह अभिकथन किया गया था कि श्री पारसमल सकलेचा ने श्री हिम्मत कोठारी के निजी चरित्र और आचरण के बारे में अपने (श्री पारसमल सकलेचा के) निर्वाचन अभियान के संबंध में आधारित जन सभाओं में मिथ्या कथन किया था। याचिकाकर्ता मोचीपुरा, हाट की चौक और बजना बस अड्डा की सभाओं को विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट किया है, जहां पर श्री पारसमल सकलेचा ने श्री हिम्मत कोठारी के बारे में कतिपय कथन किए थे जिनका मिथ्या होना अभिकथित है और जिसका श्री पारसमल सकलेचा को सत्य होने का विश्वास नही है, जिस कारण श्री कोठारी की निर्वाचन संभाव्यता पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा है।

5. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने तारीख 12 अप्रैल, 2013 के अपने निर्णय और आदेश के द्वारा श्री पारसमल सकलेचा को उपरोक्त वर्णित भाषण को देने के लिए 1951 के अधिनियम की धारा 123(4) के अधीन भ्रष्ट आचरण कारित करने का दोषी पाया है, और रतलाम नगर-200 सभा निर्वाचन क्षेत्र से उनका निर्वाचन अपास्त कर दिया गया।

6. श्री सकलेचा ने निर्वाचन अपील (सिविल अपील सं. 2013 का 4076 श्री पारसमल सकलेचा बनाम हिम्मत कोठारी और अन्य) को उच्च न्यायालय के समक्ष तारीख 12 अप्रैल, 2013 के न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष फाइल किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 24 जून, 2013 को आक्षेपित निर्णय के प्रवर्तन पर इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए रोक लगाया है कि अपीलार्थी न तो विधान सभा की कार्यवाहियों में भाग लेगा और न ही विधान सभा के सदस्य की हैसियत से कोई पारिश्रमिक आहरित करेगा परन्तु वह विधान सभा की चर्चाओं में भाग लेने का हकदार होगा।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने तारीख 5 नवम्बर, 2014 के अपने पश्चातवर्ती आदेश में जो ऊपर के दो पैरा में उत्कथित है, यह निदेश दिया है कि उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश की दृष्टि से, समक्ष प्राधिकारी राष्ट्रपति को पहले यह विनिश्चय करने के लिए मामले को निर्दिष्ट कर सकेगा कि क्या श्री पारसमल सकलेचा को 1951 अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरर्हित किया जाना है , और उसके पश्चात् उच्चतम न्यायालय इस सिविल अपील पर विचार करेगा।

8. मध्य प्रदेश विधान सभा के प्रधान सचिव द्वारा मामले को राष्ट्रपति को निर्दिष्ट किए जाने पर, राष्ट्रपति ने 11 फरवरी, 2015 को 1951अधिनियम की धारा 8क (3) के निबंधनों के अनुसार इस प्रश्न पर आयोग की राय माँगी है, कि क्या श्री पारसमल सकलेचा को निरर्हित करना चाहिए, और यदि हाँ तो कितनी अवधि के लिए।

9. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है।

8क. भ्रष्ट आचरण के लिए निरर्हता.—(1) धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण के दोषी ठहराए गए प्रत्येक व्यक्ति का मामला, ऐसे आदेश के प्रभावशील होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर यथाशक्य शीघ्र, ऐसे

प्राधिकारी द्वारा, जिसे केन्द्रीय सरकार उस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इस प्रश्न का अवधारण करने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा कि क्या ऐसा व्यक्ति निरर्हित किया जाए और यदि किया जाए तो कितनी कालावधि के लिए :-

परन्तु वह कालावधि जिसके लिए कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन निरर्हित किया जा सकेगा, किसी भी दशा में उस तारीख से छह वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसको धारा 99 **के अधीन उसके संबंध में किया गया आदेश प्रभावशील होता है।**

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम की धारा 8क के अधीन, जैसी कि वह निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 40) के आरम्भ के ठीक पहले थी, निरर्हित हो गया है, यदि ऐसी निरर्हता की कालावधि समाप्त नहीं हो गई है तो, उक्त कालावधि के शेष भाग के लिए ऐसी निरर्हता के हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति को अर्जी प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) में वर्णित किसी प्रश्न या उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की गई किसी अर्जी पर विनिश्चय देने से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से किसी ऐसे प्रश्न और अर्जी पर राय लेगा और उस राय के अनुसार,कार्य करेगा।

10. इस प्रकार आयोग द्वारा राष्ट्रपति को दी गई राय दो प्रश्नों पर हैं, अर्थात् (i) क्या श्री सकलेचा पर कोई निरर्हता अधिरोपित की जानी चाहिए और (ii) यदि हां, तो निरर्हता की अवधि कितनी होनी चाहिए। निरर्हता की अवधि, यदि कोई हो, उस तारीख से जब न्यायालय का आदेश, आयोग के भ्रष्ट आचरण पर निष्कर्ष के संबंध में प्रभावी होता है, से छह वर्ष से अधिक नहीं हो सकती ।

11. आयोग ने श्री सकलेचा को लिखित कथन फाइल करने के लिए 20 फरवरी, 2015 को नोटिस जारी किया था और 16 मार्च, 2015 को इस मामले में सुनवाई तय की थी। तथापि श्री सकलेचा ने लिखित कथन फाइल नहीं किया। श्री हिम्मत कोठारी को भी सूचित किया गया था कि वही स्वयं और/या सम्यक रुप से प्राधिकृत काउंसिल के माध्यम से सुनवाई के लिए पेश हो सकते हैं।

12. 16 मार्च, 2015 को सुनवाई में श्री एश्वर्य विक्रम, अधिवक्ता श्री पारसमल सकलेचा की ओर से और श्री भास्कर राय, अधिवक्ता श्री हिम्मत कोठारी की ओर से पेश हुए। उस दिन दोनों पक्षकारों के काउंसिल ने सुनवाई को कुछ दिनों के लिए स्थगित करने का अनुरोध इस आधार पर किया था कि उनको उनके मुवक्किलों ने सुनवाई से कुछ ही दिन पहले अपना मामला दिया है और उनको मामला तैयार करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। आयोग ने अनुरोध पर विचार किया और सुनवाई 27.3.2015 के लिए स्थगित कर दी।

13. 27.3.2015 को श्री पारसमल सकलेचा अपने काउंसिल श्री पुनीत जैन, अधिवक्ता और श्री एश्वर्य विक्रम, अधिवक्ता के साथ पेश हुए और भास्कर राय, अधिवक्ता श्री हिम्मत कोठारी की ओर पेश हुए।

14. श्री पुनीत जैन, विद्वत काउंसिल ने श्री सकलेचा की ओर से पेश होते हुए निम्नलिखित निवेदन किया :-

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(क) के अधीन राष्ट्रपति को भ्रष्ट आचरण का दोषी पाए गए व्यक्ति की निरर्हता के बारे में विवेकाधिकार प्रदत्त किया गया है। निरर्हता, यदि कोई हो, भविष्य में किसी व्यक्ति को निर्वाचन लड़ने और भविष्य में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निर्वाचनों में मतदान करने से विवर्जित करेगी। किसी "भ्रष्ट आचरण" करने के निष्कर्ष के परिणामस्वरुप दंड माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वयं, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन को अपास्त करते हुए दिया जाएगा तथापि, यह विनिश्चय कि क्या और निरर्हता होनी चाहिए, का विनिश्चय राष्ट्रपति द्वारा किया जाना है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह प्रश्न कि क्या और निरर्हता होनी चाहिए, का विनिश्चय भविष्य में निर्वाचनों की शुद्धता बनाए रखने के सिद्धांत पर विचार करते हुए विनिश्चित किया जाना है। धारा 8क के अधीन शक्ति दंडात्मक नहीं अपितु निवारक हो सकती है और इस प्रकार सभी कृत्य जो भ्रष्ट आचरण के कृत्य पाए जाते हैं उन सब में निरर्हता परिणित होनी आवश्यक नहीं है, जो भविष्य में प्रचालित होगी।

(ii) निर्वाचन याची, श्री विनोद कोठारी द्वारा किए गए अभिकथन के संबंध में निर्वाचन अभियान के दौरान आक्षेपित कथन करने के बारे में उक्त कृत्य उस निर्वाचन तक सीमित थे और ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आभास होता हो कि वैसे कृत्य भविष्य में दोहराए जा सकते हैं तथा जो भविष्य में निर्वाचनों की शुद्धता को प्रभावित करेगी। इसके अतिरिक्त, कथनों में सुझाए गए अभ्यरोपण जिन पर धारा 123(4) के अधीन श्री पारसमल सकलेचा के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं का उद्देश्य जन साधारण को सार्वजनिक कृत्यकारी द्वारा लोक जीवन में भ्रष्टाचार के खतरे के बारे में जानकारी देना है। ऐसे कथनों के आधार पर सार्वजनिक प्रकृति का कोई गलत काम इंगित नहीं किया जा सकता। किसी विशिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध अभिकथित भ्रष्ट आचरण तुच्छ प्रकृति का था, जिसके कारण उसे मतदान करने के लोकतांत्रिक अधिकारों और भविष्य में निर्वाचन लड़ने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

(iii) श्री सकलेचा ने निर्वाचन भारी अंतर से जीता था । निर्वाचन के परिणाम के संदर्भ में आक्षेपित कथन अधिक सुसंगत नहीं कहा जा सकता ।

15. उपरोक्त आधार पर विद्वत काउंसिल ने निवेदन किया है कि आयोग की यह राय हो सकती है कि श्री सकलेचा को निरर्हित नहीं किया जाना चाहिए; या अनुकल्पत:, यदि आयोग की यह राय है कि उसे निरर्हित किया जाना चाहिए तो अल्पवधि की निरर्हता अधिरोपित की जा सके ।

16. श्री कोठारी के लिए विद्वत काउंसिल श्री भास्कर राय ने निवेदन किया है कि उच्च् न्यायालय ने श्री सकलेचा को भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया है और उसे अवश्य परिणाम भुगतने होंगे । उसने कहा है कि श्री सकलेचा ने 2013 के आम निर्वाचन भी लड़ा है, परंतु उसमें वह हारा था और इन परिस्थितियों में उसके द्वारा श्री कोठारी के विरुद्ध 2008 के निर्वाचन में झूठे कथन का प्रभाव श्री कोठारी के निर्वाचन की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए जिसके कारण उस न्यायालय ने अपना निष्कर्ष दिया है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता । तथापि, विद्वत काउंसेल ने यह स्वीकार किया है कि धारा 8क राष्ट्रपति को, जहां तक कि भावी निरर्हता अधिरोपित करने और निरर्हता की अवधि अवधारित करने का संबंध है, विवेकाधिकार प्रदान करता है ।

17. आयोग ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया है । यह नि:संदेह सत्य है कि धारा 8क राष्ट्रपति को यह विनिश्चित करने का कि क्या भ्रष्ट आचरण का दोषी पाए गए व्यक्ति की निरर्हता होनी चाहिए और निरर्हता की अवधि के संबंध में भी विवेकाधिकार प्रदान करती है । वर्तमान मामले में, आक्षेपित भाषण, जिनको भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में पाया गया है, ने नि:संदेह निर्वाचन की प्रक्रिया की शुद्धता को कलंकित किया है । इनसे सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के कुछ मानदंडों द्वारा मुकाबला किया जाना चाहिए, न कि परस्पर विरोधी अभ्यर्थी के चरित्रहनन द्वारा । इसलिए कोई अभ्यर्थी जो भ्रष्ट आचरण में संलिप्त होता है ऐसे आचरण के लिए निरर्हित किया जाना चाहिए ।

18. जहां तक निरर्हता की अवधि का संबंध है, ये प्रेक्षण किया जाता है कि पूरे निर्वाचन अभियान में श्री सकलेचा को केवल तीन बार आपत्तिजनक भाषण देने का दोषी पाया गया था और वो भी लंबी सार्वजनिक बैठकों के दौरान जो कई घंटे चली, इसके भाषणों की कतिपय लघु भाग के लिए । इसके अतिरिक्त, 2008 में निर्वाचन आयोजित किया गया था और सदन का कार्यकाल 2013 में समाप्त हुआ था । पक्षकारों की ओर से निवेदनों और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, आयोग का यह विचार है कि न्याय और साम्या के उद्देश्य तभी पूर्ण होंगे, यदि अल्पवधि की निरर्हता राष्ट्रपति के आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर इस मामले में श्री सकलेचा पर अधिरोपित की जाती है ।

19. तद्नुसार, आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8अ की उपधारा (3) के अधीन माननीय राष्ट्रपति को यह राय देता है कि श्री पारसमल सकलेचा को राष्ट्रपति के आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित किया जाए ।

हस्ता. हस्ता.

(डा. नसीम जैदी) (एच.एस.ब्रम्हा)
निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली
तारीख : 09.04.2015

[फा. सं. एच-11026/1/2015-विधायी-II]

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2015

S.O. 1603(E).—The following Order made by the President is published for general information:-

ORDER

New Delhi, 29th May, 2015

Whereas a reference was made by the President on 11th February, 2015 seeking the opinion of the Election Commission under sub-section (3) of section 8A of the Representation of the People Act, 1951(hereinafter referred to as said Act), on the question whether Shri Parasmal Saklecha (former Member of Legislative Assembly, Madhya Pradesh) should be disqualified under sub-section (1) of section 8A of the said Act, and if so, for what period;

And whereas an Election Petition No. 6 of 2009 had been filed before the High Court of Madhya Pradesh challenging the election of Shri Parasmal Saklecha from 220-Ratlam City Assembly Constituency conducted in the year 2008 on the ground, *inter alia,* that Shri Parasmal Saklecha had committed corrupt practice under sub-section (4) of the section 123 of the said Act;

And whereas the High Court of Madhya Pradesh vide judgement order dated 12th April, 2013 found Shri Parasmal Saklecha guilty of corrupt practice under sub-section 4 of section 123 of the said Act for making impugned speeches and set aside his election.

And whereas Shri Saklecha filed an election appeal (Civil Appeal No. 4076 of 2013) before the Hon'ble Supreme Court against the High Court order dated 12th April, 2013.

And whereas the reference arises in pursuance of the order dated 5th November, 2014 of the Hon'ble Supreme Court in the Election appeal (Civil Appeal No. 4076 of 2013-Parasmal Saklecha Vs. Himmat Kothari & Anr.), under which the Hon'ble Supreme Court has, *inter-alia,* observed as under:-

"We find it difficult to accept the correctness of the understanding of the parties that the authority of the President to examine the question of disqualification under section 8A of the said Act is kept in abeyance because of the above-mentioned interim order. In our Opinion, the interim order only stayed the operation of the impugned judgement of the High Court subject to the conditions specified therein. It was only an interim arrangement pending a final decision as to the correctness of the judgement of the High Court, vis-à-vis, the question of continuance of the appellant herein as a Member of the Legislative Assembly. Irrespective of the correctness of the conclusions recorded by the High Court, the Assembly to which the appellant was elected stood dissolved by the expiry of the term.

The only question, therefore, would be whether the appellant continues to suffer a disqualification in view of the finding of guilt against him. As of now, there is nothing on record that the appellant is suffering from disqualification. In the circumstances, we deem it appropriate to defer the hearing of the appeal until the President takes a decision under section 8A of the said Act. We make it clear that it is open to the authority contemplated under section 8A of the said Act to submit the case of the appellant herein to the President for an appropriate decision under section 8A of the said Act.

This matter be listed before this Court after the President takes a decision."

And whereas the Election Commission tendered its opinion (Opinion of the Election Commission annexed as annexure to this Order) under sub-section (3) of Section 8A of the Representation of the People Act, 1951, that Shri Parasmal Saklecha may be disqualified for a period of one year from the date of Order of the President.

Now, therefore, I, Pranab Mukherjee, President of India, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 8A of the Representation of the People Act, 1951, do hereby decide that Shri Parasmal Saklecha shall stand disqualified for a period of one (1) year from the date of publication of this Order.

PRESIDENT OF INDIA

ANNEXURE TO THE ORDER OF THE PRESIDENT

Election Commission of India

NIRVACHAN SADAN

ASHOKA ROAD, NEW DELHI – 110 001

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Reference Case No. 1 of 2015

[Reference from the President of India under Section 8A (3) of the Representation of the People Act, 1951.]

In re: Disqualification of Shri Parasmal Saklecha, former Member of Legislative Assembly of Madhya Pradesh.

Opinion

This is a reference from the President of India seeking the opinion of the Election Commission under sub-section (3) of section 8A of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter '1951-Act'), on the question whether Shri Parasmal Saklecha (former Member of Legislative Assembly of Madhya Pradesh) should be disqualified under sub-section (1) of Section 8A of the said 1951-Act, and, if so, for what period.

2. The reference arises in pursuance of the order dated 5th November, 2014 of the Hon'ble Supreme Court in the Election Appeal (Civil Appeal No. 4076 of 2013 - Parasmal Saklecha Vs Himmat Kothari & Anr.), under which the Hon'ble Supreme Court has inter-alia observed as under :-

> "We find it difficult to accept the correctness of the understanding of the parties that the authority of the President to examine the question of disqualification under Section 8A of the Act is kept in abeyance because of the above-mentioned interim order. In our opinion, the interim order only stayed the operation of the impugned judgment of the High Court subject to the conditions specified therein. It was only an interim arrangement pending a final decision as to the correctness of the judgment of the High Court, vis-à-vis, the question of continuance of the appellant herein as a member of the Legislative Assembly. Irrespective of the correctness of the conclusions recorded by the High Court, the Assembly to which the appellant was elected stood dissolved by the expiry of the term.
>
> The only question, therefore, would be whether the appellant continues to suffer a disqualification in view of the finding of guilt against him. As of now, there is nothing on record that the appellant is suffering from disqualification. In the circumstances, we deem it appropriate to defer the hearing of the appeal until the President takes a decision under Section 8A of the Act. We make it clear that it is open to the authority contemplated under Section 8A of the Act to submit the case of the appellant herein to the President for an appropriate decision under Section 8A of the Act.
>
> This matter be listed before the Hon'ble Supreme Court after the President takes a decision."

3. Shri Saklecha contested and won election to in the Legislative Assembly of Madhya Pradesh held in 2008 from 220-Ratlam City Assembly Constituency. His election was challenged by Shri Himmat Kothari in Election Petition No 6 of 2009 before the High Court of Madhya Pradesh, on the ground, inter alia, that Shri Saklecha had committed corrupt practice under sub-section (4) of Section 123 of the 1951 – Act. Shri Kothari was also a candidate at the said election from the same constituency and had lost the election to Shri Saklecha.

4. The allegation with regard to corrupt practice against Shri Saklecha in the Election Petition was that Shri Saklecha made false statements in relation to the personal character and conduct of Shri Himmat Kothari in public meetings held in connection with his (Shri Saklecha's) election campaign. The petitioner specifically referred to meetings held at Mochipura, Hat ki Chowk and Bajna Bus Stand, where Shri Parasmal Saklecha made certain statements with regard to Shri Kothari which were allegedly false and which Shri Saklecha did not believe to be true, thereby adversely affecting the election prospects of Shri Kothari.

5. The High Court of Madhya Pradesh, vide its judgment and order dated 12th April, 2013, found Shri Parasmal Saklecha guilty of corrupt practices under Section 123(4) of the 1951-Act, for making the abovementioned impugned speeches and set aside his election from 220-Ratlam City Assembly Constituency.

6. Shri Saklecha filed an election appeal (Civil Appeal No. 4076 of 2013 - Parasmal Saklecha Vs Himmat Kothari & Anr.) before the Hon'ble Supreme Court against the High Court's order dated 12th April 2013. The Hon'ble Supreme Court, on 24th June 2013, stayed the operation of the impugned judgment subject

to the condition that the appellant would neither participate in the proceedings in the Vidhan Sabha nor draw remuneration in the capacity as a member of the Vidhan Sabha but he would be entitled to participate in the deliberations of the Vidhan Sabha.

7. The Hon'ble Supreme Court, vide its subsequent Order 5th November, 2014, quoted in paragraph two above, directed that in view of the order and judgment of the High Court, the competent authority may refer the matter to the President to first decide whether Shri Saklecha is to be disqualified under Section 8A of the 1951 Act, and that the Supreme Court would consider the Civil Appeal thereafter.

8. On the matter being thus referred to the President by the Principal Secretary of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha, the President has sought the opinion of the Commission on 11th February, 2015 in terms of Section 8A (3) of 1951-Act, on the question whether Shri Saklecha should be disqualified, and if so, for what period.

9. Section 8A of the Representation of the People Act, 1951 is reproduced below:

"8A. Disqualification on ground of corrupt practices.

(1) The case of every person found guilty of a corrupt practice by an order under section 99 shall be submitted, as soon as may be after such order takes effect, by such authority as the Central Government may specify in this behalf, to the President for determination of the question as to whether such person shall be disqualified and if so, for what period.

Provided that the period for which any person may be disqualified under this sub-section shall in no case exceed six years from the date on which the order made in relation to him under section 99 takes effect.

(2) Any person who stands disqualified under section 8A of this Act as it stood immediately before the commencement of the Election Laws (Amendment) Act, 1975, (40 of 1975) may, if the period of such disqualification has not expired, submit a petition to the President for the removal of such disqualification for the unexpired portion of the said period. [This sub-section is now no longer applicable.]

(3) Before giving his decision on any question mentioned in sub-section (1) or on any petition submitted under sub-section (2), the President shall obtain the opinion of the Election Commission on such question or petition and shall act according to such opinion."

10. Thus, the opinion to be tendered to the President by the Commission is on the twin questions, viz., (i) whether there should be any disqualification imposed on Shri Saklecha, and (ii) if so, what should be the period of disqualification. The period of disqualification, if any, cannot exceed six years from the date on which the order of the Court with regard to the findings on commission of corrupt practice takes effect.

11. The Commission issued notice to Shri Saklecha on 20th February, 2015, asking him to file his written statement and also fixed a hearing in the matter on 16th March, 2015. However, Shri Saklecha did not file any written statement. Shri Himmat Kothari was also informed that he may appear in person and/or through duly authorized counsel for the hearing.

12. At the hearing on 16th March**,** 2015, Shri Aishvary Vikram, Advocate appeared on behalf of Shri Parasmal Saklecha and Shri Bhaskar Roy, Advocate appeared on behalf of Shri Himmat Kothari. On that day, counsel for both the parties requested for adjournment of the hearing for a few days on the ground that they had been engaged by their respective clients just a day before the hearing and that they needed some time to prepare the case. The Commission considered the request and adjourned the hearing to 27.3.2015.

13. On 27.3.2015, Shri Parasmal Saklecha appeared alongwith his Counsel Shri Puneet Jain, Advocate and Shri Aishvary Vikram , Advocate. Shri Bhaskar Roy, Advocate appeared on behalf of Shri Himmat Kothari.

14. Shri Puneet Jain, learned counsel appearing for Shri Saklecha made the following submissions :-

(i) Under Section 8A of the Representation of the People Act, 1951, a discretion has been conferred on the President regarding disqualification of a person found to be guilty of corrupt practice. The disqualification, if any, operates in future to debar the person from contesting election and from voting in elections for a specified duration in future. Punishment as a consequence of finding of commission of a "corrupt practice" is awarded by the Hon'ble High Court itself by setting aside the election of the retuned candidate. However, the decision whether there should be further disqualification is to be decided by the President. This shows that the question whether there should be further disqualification has to be decided considering the underlying principle of maintaining purity of elections in future. The power under section 8A cannot be punitive but is preventive and

hence all acts found to be acts of corrupt practice need not necessarily result in disqualification, which would operate in future.

(ii) Regarding the allegation leveled by the election petitioner Shri Himmat Kothari about making impugned statements during election campaign, the said acts were confined to that election and there is nothing to suggest that the same was of a nature capable of being repeated in future and which would in turn affect the purity of elections in future. Further, the imputations suggested in the statements on which a charge under section 123(4) has been made against Shri Parasmal Saklecha were aimed at informing the public of the menace of corruption in public life by public functionaries in general. No wrong of a public nature can be suggested on the basis of such statements. The corrupt practice alleged was trivial in nature against a particular individual, which ought not to result in depriving him from his democratic rights of voting and contesting in elections in future.

(iii) Shri Saklecha had won the election by a huge margin. The impugned statements can not be said to have been of much relevance in the context of the result of election.

15. On the above grounds, Ld. Counsel submitted that the Commission may opine to the effect that Shri Saklecha should not be disqualified; or alternatively, if the Commission is of the opinion that he should suffer some disqualification, then the disqualification for a short period may be imposed.

16. Shri Bhaskar Roy, learned Counsel for Shri Kothari submitted that the High Court has found Shri Saklecha guilty of corrupt practice and he must face the consequence. He stated that Shri Saklecha contested the general election of 2013 also, but, was defeated, and in the circumstances, the impact of the false statements made by him against Shri Kothari in the election held in 2008 prejudicially affecting the prospects of election of Shri Kothari which led to the findings by the High Court cannot be ignored. The learned counsel, however, fairly conceded that Section 8A does provide a discretion to the President in so far as the decision to impose future disqualification and to determine the period of disqualification is concerned.

17. The Commission has considered all aspects of the matter. It is no doubt true that Section 8A provides a discretion to the President to decide whether there should be disqualification of the person found guilty of corrupt practice, and also with regard to the quantum of disqualification. In the present case, the impugned speeches which were found to be amounting to the commission of corrupt practice undoubtedly sullied the purity of election process as election should be fought on high standards of probity in public life and not by resorting to assassination of private character and contact of rival candidates. Therefore, a candidate who indulges in such corrupt practice deserves to suffer disqualification for such conduct.

18. As regards the period of disqualification, it is observed that in the entire election campaign, Shri Saklecha was found guilty of making objectionable speeches only on three occasions and that too only for certain short portion of his speeches during long public meetings running into several long hours. Further, the election was held in 2008 and the term of the House expired in 2013. Having considered the submissions on behalf of the parties and all facts and circumstances of the case, the Commission is of the considered view that the ends of justice and equity would be met if a short term of disqualification for a period of one year from the date of order of the President is imposed upon Shri Saklecha in this case.

19. Accordingly, the Commission tenders opinion to the Hon'ble President under Sub-section (3) of Section 8A of the Representation of the People Act, 1951, that Shri Parasmal Saklecha may be disqualified for a period of one year from the date of order of the President.

-Sd- -Sd-

(Dr. NASIM ZAIDI) (H.S.BRAHMA)

Election Commissioner Chief Election Commissioner

New Delhi

Dated: 09.04.2015.

[F. No. H-11026/1/2015-Leg. II]

Dr. REETA VASHISTHA, Additional Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.